न्यू इन्डिया की गृह सुविधा पॉलिसी की महत्वपूर्ण विशेषताएँ

- दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड घर की अंतर्वस्तुओं के लिए एक नया और सरल बीमा आरंभ कर रही है जिसका नाम है गृह सुविधा पॉलिसी ।
- न्यू इन्डिया गृह सुविधा पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य, घर की अंतर्वस्तुओं को अग्नि तथा संबद्घ आपदाओं से, जिनमें दंगा, हड़ताल, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, चोरी, गृहवेधन, सेंधमारी शामिल है, अंतर्वस्तुओं की, जिनमें जवाहरात और मूल्यवान वस्तुएँ समाविष्ट हैं, दुर्घटनात्मक क्षति एवं घरेलु उपकरणों, जिनमें टेलीवीजन और/या डेस्कटॉप भी आते हैं, की खराबी के लिए सुरक्षा प्रदान करना है ।
- न्यू इन्डिया गृह सुविधा पॉलिसी में चार विशिष्ट विकल्प हैं और प्रत्येक विकल्प में पाँच अंतर्भूत (बिल्ट-इन) खंड हैं जिनमें प्रथम हानि आधार पर बीमा राशि पहले से निश्चित की गयी है।
- पॉलिसी में वैकल्पिक खंड VI भी है जिसमें आवासीय परिसरों को पूर्ण बीमा राशि आधार पर आवरित किया जा सकता है।
- इस पॉलिसी की प्रमुख विशेषता है उसकी सरलता और
 ग्राहकों के लिए आसानी से अंतर्वस्तुओं के विवरण और
 वर्णन प्रदान करने की सुविधा ।
- चूँिक अंतर्वस्तुओं को आविरत करनेवाली इस पॉलिसी के खंड I से V के लिए औसत की शर्त लागू नहीं होती इसलिए दावा प्रशासन की प्रक्रिया भी बहुत सरल और पेचीदगी से मुक्त है ।
- यह पॉलिसी भारत में रहनेवाले किसी भी व्यक्ति के लिए जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, उपलब्ध है बशर्ते बीमा के लिए प्रस्तुत अंतर्वस्तुएँ भारतीय क्षेत्र में स्थापित होनी चाहिए / दावों का निपटान केवल भारतीय करेंसी में किया जायेगा ।

Salient Features of the New India Griha Suvidha Policy

- The New India Assurance Company Limited launches a new and simple Householder's Contents Insurance named Griha Suvidha Policy.
- The main objective of New India Griha Suvidha Policy is to provide protection to householder's contents against fire and allied perils including Riot, Strike, Floods, Earthquake, Terrorism, Burglary, Housebreaking, Theft & accidental damage to contents including Jewellery & valuables, Breakdown of domestic appliances including Television &/or Desktop.
- New India Griha Suvidha Policy has four specific options and each option has five built-in sections with pre-fixed Sum Insured on a First Loss basis.
- The policy also has an Optional Section VI where the Residential Premises can be covered on Full Sum Insured Basis.
- The main highlight of the policy is its simplicity and ease to the customer in providing the details and description of the contents.
- It has a simple and hassle free process of claims administration as Condition of Average is not applicable in Sections I to V of the policy covering contents.
- This policy is available to any person residing in India, including foreign nationals, provided the contents proposed for insurance is situated within the Indian territory. The settlement of the claims shall be in Indian currency only.

प्रीमियम के साथ विभिन्न विकल्प निम्नलिखित विवरणों के अनुसार हैं : The various options with the premium are as per details furnished below :

	प्रीमियम / Premium प्रथम हानि आधार पर बीमा / Sum Insured on First Loss Basis					
	खंड (प्रथम हानि आधार पर) Sections (on First Loss basis)	आवरण वर्णन Cover Description	विकल्प 1 बीमा राशि Option 1 SI	विकल्प 2 बीमा राशि Option 2 SI	विकल्प 3 बीमा राशि Option 3 SI	विकल्प 4 बीमा राशि Option 4 SI
	1	अग्नि तथा संबद्घ आपदाएँ (अंतर्वस्तुएँ) Fire & Allied Perils (contents)	100000	250000	500000	1000000
	2	चोरी, गृहवेधन तथा सेंधमारी (अंतर्वस्तुएँ) Burglary House Breaking and Theft	100000	250000	500000	1000000
	3	मूल्यवान वस्तुएँ तथा जवाहरात Valuables and Jewellery	50000	100000	200000	400000
	4	घरेलु उपकरणों की खराबी Breakdown of Domestic Appliances	50000	75000	100000	200000
	5	टेलीविजन / डेस्कटॉप बीमा Television/Desktop Insurance	25000	40000	60000	75000
	6	अग्नि तथा संबद्ध आपदाएँ (संपत्ति) Fire & Allied Perils (Property)	(संपत्ति के मूल्य के अनुसार पूरी बीमा राशि) (Full Sum Insured as per the value of the property)	(संपत्ति के मूल्य के अनुसार पूरी बीमा राशि) (Full Sum Insured as per the value of the property)	(संपत्ति के मूल्य के अनुसार पूरी बीमा राशि) (Full Sum Insured as per the value of the property)	(संपत्ति के मूल्य के अनुसार पूरी बीमा राशि) (Full Sum Insured as per the value of the property)
		कुल प्रीमियम (5 खंड) TOTAL PREMIUM (5 sections)	1125	2120	3880	7175
		अग्नि तथा संबद्ध आपदाएँ (संपत्ति) Fire & Allied Perils (Property)	0.30 प्रति हजार 0.30 per mille	0.30 प्रति हजार 0.30 per mille	0.30 प्रति हजार 0.30 per mille	

^{*}सेवा कर लागू / Service tax to apply.

रूपरेखा

- खंड I से V प्रथम हानि आधार पर पूर्व-निश्चित प्रीमियम ।
- खंड I से V के लिए औसत की शर्त और न्यून बीमा लागू नहीं I
- खंड VI में आवासीय परिसरों के लिए पूर्ण बीमा राशि आधार पर आवरण ।
- औसत की शर्त तथा न्यून बीमा केवल खंड VI के लिए लागू ।
- पॉलिसी प्रशासन में तथा दावा प्रबंधन में सरलता ।

SYNOPSIS

- Section I to V on First Loss basis on pre-fixed premium.
- No condition of average & under insurance for Section I to V.
- Section VI on Full Sum Insured basis covering the Residential Premises.
- Condition of Average and Under-insurance to be applied only to Section VI.
- Ease in Policy administration as well as claims management.

इस पॉलिसी के अंतर्गत आवरण

खंड - I - अंतर्वस्तुएँ (जवाहरात छोड़कर) अग्नि तथा संबद्घ आपदाओं, जिनमें भूकंप और आतंकवाद शामिल है, के विरुद्ध आवरित

यह खंड घर की सभी अंतर्वस्तुओं को, जैसे फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्ज, पोषाक, कपड़े, साजसज्जा सामान, घरेलु उपकरण आदि, जो परिसर में रखे गये हों या लगाए गए हों, को अग्नि, तड़ित, विस्फोट, अंतःस्फोट, दंगा, हड़ताल, विदेषपूर्ण क्षति, आँधी, तूफान, चक्रवात, झंझावात, बवंडर, प्रभंजन, बाढ़ और जल आप्लावन, आघात क्षति, घसकन और भूस्खलन जिसमें पत्थर ढलना भी शामिल है, भूकंप और आतंकवाद आदि से सुरक्षा आवरण देता है। जिनके लिए बीमा आवरण लिया गया है उन मदों की विस्तृत सूची देना बीमाधारक के लिए आवश्यक नहीं है।

खंड - II - अंतर्वस्तुएँ (जवाहरात छोड़कर) चोरी तथा गृहवेधन, सेंधमारी जिनमें तस्करी शामिल है, के विरुद्ध आवरित

इसकी बीमा राशि खंड । के समान ही होगी । इस खंड के अंतर्गत भी बीमाधारक को उन मदों के विवरण देने की आवश्यकता नहीं है जिनके लिए चयनित सीमा के अनुसार बीमा आवरण लिया गया है । इस खंड में भी मुख्यतः घर की सभी अंतर्वस्तुओं को जैसे फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्ज, पोषाख, कपड़े, साजसज्जा सामान, घरेलु उपकरण जो परिसर में रखे गए हैं या लगाये गए हैं उन्हें चोरी, गृहवेधन और सेंधमारी जिसमें तस्करी भी शामिल है के विरुद्ध आवरण दिया जाता है ।

खंड - III - जवाहरात तथा मूल्यवान वस्तुएँ

यह खंड निर्दिष्ट जवाहरात और मूल्यवान वस्तुओं को किसी दुर्घटना या दुर्भाग्य से उनकी भौतिक हानि या क्षति के लिए आवरण देता है । जब वे मद पहने हुए हों या परिसर में रखे हुए हों । इन मदों का आसान शब्दों में वर्णन, जिसमें उनका वजन तथा आकार (मात्रा) शामिल हो, निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इस खंड के तहत अधिकतम 5 मदों की सूची शामिल करने का विकल्प उपलब्ध है ।

खंड - IV - घरेलु उपकरणों में खराबी

यह खंड निर्दिष्ट घरेलु उपकरणों की मेकॅनिकल अथवा इलेक्ट्रीकल खराबी के कारण अचानक हुई भौतिक क्षति को आवरित करता है जिसमें दुर्घटनात्मक बाह्य क्षति भी शामिल है। ऐसे उपकरणों के विवरणों में उनका मेक. मॉडल तथा निर्माण वर्ष दिया जाना चाहिए।

खंड - V - टीवी / डेस्कटॉप बीमा

यह खंड परिसर में रखे गये टीवी और/या डेस्कटॉप को आवरित करने के लिए बनाया गया है । इस आवरण में अग्नि, भूकंप, चोरी और गृहवेधन, इलेक्ट्रिकल तथा मेकॅनिकल खराबी के विरुद्ध आवरण दिया जाता है ।

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीक के न्यू इन्डिया एश्योरन्स कं. लि. के कार्यालय से संपर्क करें ।

कानूनी व्याख्या के लिए अंग्रेजी अवतरण मान्य होगा ।

''बीमा आग्रह की विषय वस्तु है''

COVERAGES UNDER THE POLICY

SECTION - I - Contents (Excluding Jewellery Against Fire & Allied Perils Including Earthquake & Terrorism

This section covers all household contents like Furniture, Fixtures, Fittings, Clothing, Apparels, Upholstery, Domestic Appliances which are kept and installed in the premises against Fire, Lightning, Explosion, Implosion, Riot, Strike, Malicious Damage, Storm, Cyclone, Typhoon, Tempest, Hurricane, Tornado, Flood and Inundation, Impact Damage, Subsidence and Landslide including Rock slide etc, Earthquake & Terrorism. The insured need not furnish a detailed list of the items for which insurance cover is sought.

SECTION - II - Contents (Excluding Jewellery) Against Burglary & Housebreaking, Theft Including Larceny

The sum insured is same as section I. Under this section too the insured need not furnish the details of the items for which insurance is sought as per the limits selected. This section is also broadly meant to cover all household contents like Furniture Fixtures, Fittings, Clothing, Apparels, Upholstery, Domestic Appliances which are kept and installed in the premises against Burglary, Housebreaking and Theft including Larceny.

SECTION - III - Jewellery and Valuables

This section covers physical loss or damage to specified jewellery and valuable items worn or kept in the premises due to an accident or misfortune. Description of the Items in simple terms including weight & volume needs to be specified. A list of a maximum of 5 items can be opted for under this section.

SECTION - IV - Breakdown of Domestic Appliances

This section covers sudden physical damage including accidental external damage caused due to mechanical and or electrical breakdown to specified domestic appliances. The description details of such appliances are restricted to the make, model and year

SECTION - V - TV/Desktop Insurance

This section Is meant to cover the Television &/or Desktop in the premises. The cover is against Fire, Earthquake, Burglary & Housebreaking, Electrical and Mechanical Breakdown.

For further details contact your nearest NIA Office.

For legal interpretation English version will hold good.

"Insurance is the subject matter of Solicitation"

दि न्यू इंडिया एश्योरंस कं. लि. प्रीमियर, बहुराष्ट्रीय गैर जीवन बीमा कंपनी है, जिसके 2472 प्रचालन कार्यालय हैं और भारत की समस्त कंपनियों की अग्रणी इस कंपनी ने विविध उत्पादों की लंबी सूची के साथ ही भारत की पहली एयर लाइन से लेकर उपग्रह तक का बीमा किया है और इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है।

The New India Assurance Co. Ltd. is the Premier, Multinational the non-life insurance company with more than 2472 operating offices and is a pioneer among Indian Companies, insuring the first domestic air-line to satellite with an array of products and having its Head Office at Mumbai.

हम जोहरियों का ब्लॉक बीमा, कार्यालय सुरक्षा कवच - साधारण, सुवाह्य उपकरण बीमा और अन्य बहुत से क्षेत्रों का भी बीमा करते हैं।

We also insure risks relating to Jewellers
Block Insurance, Office Protection
Shield (General), Portable Equipment
and a lot more.



दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड The New India Assurance Company Limited (भारत सरकार का उपक्रम / Government of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय / Head Office

न्यू इन्डिया एश्योरंस बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001. New India Assurance Building, 87, M. G. Road,

New India Assurance Building, 87, M. G. Road Fort, Mumbai - 400 001.

(आई.आर.डी.ए. पंजीकरण संख्या / IRDA Registration No. : 190) हु हु ही सी.आई.एन. संख्या / CIN No. : L66000MH1919GOI000526

Website: www.newindia.co.in



गृह बीमा के लिए संपूर्ण **सुरक्षा** Overall SURAKSHA for Griha Insurance

हम आपके 🛂 💘 की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं

We ensure that **Griha** is Secured





दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड The New India Assurance Company Limited (भारत सरकार का उपक्रम / Government of India Undertaking)

आपकी आर्थिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता हैं Your financial security is our prime concern